झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[त्रयोदश (मानसून) सत्र]

गुरुवार,तिथि- 19 जुलाई, 2018 (ई0)

28 आषाढ़,1940 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-:प्रश्नोत्तरः-

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्यः-

(04)- श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः-17.07.2018 एवं 18.07.2018 से स्थगित)

(05)-श्री राधाकृष्ण किशोर,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः-17.07.2018 एवं 18.07.2018 से स्थगित)

(06)-श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मंडल,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः-17.07.2018 एवं 18.07.2018 से स्थगित)

(07)- श्रीमती सीमा देवी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः-17.07.2018 एवं 18.07.2018 से स्थगित)

(08)- श्रीमती विमला प्रधान,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः-17.07.2018 एवं 18.07.2018 से स्थगित)

कृ0पृ0उ0/-

(09)– श्री नागेन्द्र महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः– 18.07.2018 से स्थगित)

(10)–श्री राज सिन्हा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः– 18.07.2018 से स्थगित)

(11)–श्री कुणाल षड़ंगी,स0वि0स की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः– 18.07.2018 से स्थगित)

(12)– श्री अरूप चटर्जी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः– 18.07.2018 से स्थगित)

(13)– श्रीमती विमला प्रधान,श्री राधाकृष्ण किशोर एवं श्री राम कुमार पाहन स0वि0स0की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांकः– 18.07.2018 से स्थगित)

(14)– श्री स्टीफन मराण्डी ,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(15)–श्रीमती गंगोत्री कुजूर एवं ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टीन,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(16)–श्री अनन्त कुमार ओझा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार(गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(17)– सर्वश्री भानू प्रताप शाही,प्रकाश राम एवं श्री इरफान अंसारी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार(जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(18)– श्री आलमगीर आलम,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

–ः समितियों का गठन ः–

(19)– झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

कृ0पृ030/–

-: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(20)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(21)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

विधेयक की वापसी

(22) राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-28 जुलाई,2016 को सभा द्वारा पारित झारखण्ड वित्त विधेयक,2016 जिसे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा त्रुटियों के कारण वापस कर दिया गया है,को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(23) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-23 नवम्बर,2016 को सभा द्वारा पारित झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार (विनियमन) विधेयक,2016 जिसे माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा कतिपय कठोर प्रावधानों के समाविष्ट करने के बिन्दु पर सदन द्वारा पुनर्विचार किये जाने हेतु वापस कर दिया गया है,को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

-: विधायी कार्य :-

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2018

(24)-नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(25)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(26)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2018" पर विचार हो।

(27)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2018" स्वीकृत हो।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2018

(28)–परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(29)– परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(30)– परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2018"पर विचार हो।

(31)– परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2018"स्वीकृत हो।

बंगाल आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय(झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018

(32)– विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "बंगाल आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(33)– विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(34)– विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "बंगाल आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018"पर विचार हो।

(35)– विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "बंगाल आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018" स्वीकृत हो।

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक,2018

(36)– कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 लुईस मराण्डी,प्रस्ताव करेंगे कि"अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक,2018"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

कृ0पृ0उ0/–

(37)– कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 लुईस मराण्डी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(38)–कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 लुईस मराण्डी,प्रस्ताव करेंगे कि "

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक,2018"पर विचार हो।

(39)–कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 लुईस मराण्डी,प्रस्ताव करेंगे कि"

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक,2018"स्वीकृत हो।

(40)– अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–05/2018–3323/वि0स0,राँची,दिनांक–18/07/18

प्रतिलिपिः– माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान–सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–05/2018–3323/वि0स0,राँची,दिनांक–18/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–05/2018–3323/वि0स0,राँची,दिनांक–18/07/18

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राजेन्द्र